29/02/2020

राज्य द्वारा एडीपीओ उपस्थित।

प्रकरण आवेदक की उपस्थिति / खात्मा रिपोर्ट पर आदेश हेतु नियत है।

आवेदक स्वयं उपस्थित। उसके खात्मा कथन अंकित किये गये।

प्रकरण पर आदेश हेतु नियत किया जाता है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि सूचनाकर्ता अनिल डावर पिता ज्ञानचंद्र डावर द्वारा दिनांक 22.04.2019 को पुलिस थाना बेटमा पर हीरो डीलक्स एम.पी.–09 व्ही.एल–2768 के संबंध मे धारा 379 भा.द.सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी जिसके आधार पर अप. क. 197/19 पंजीबद्ध किया गया था।

प्रकरण की विवेचना के दौरान पर्याप्त प्रयास करने के उपरांत भी प्रकरण से संबंधित अभियुक्त एवं हीरो डीलक्स एम.पी.–09 व्ही.एल–2768 का पता नही चल पाया और ना ही निकट भविष्य में पता चलने की संभावना है, इस संबंध मे संबंधित अधिकारी द्वारा कई बार प्रयास किये गये जिस संबंध मे केस डायरी के साथ इन्डेक्स भी प्रस्तुत की गयी है। जिससे यह दर्शित होता है कि अभियुक्त एवं गाडी की निकट भविष्य में पता न चलने की संभावना है जिसके कारण यह खात्मा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

खात्मा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अग्रेषित है। प्रकरण में फरीयादी / सूचनाकर्ता को नोटिस जारी किये गये। फरीयादी / सूचनाकर्ता के कथन लिये गये जिसने खात्मा स्वीकार किये जाने में अनापत्ति की है। जिससे स्पष्ट है कि उसे खात्मा स्वीकार करने के संबंध में अनापत्ति है।

Anil

(...)
न्या... ...श्रेणी
देपालपुर, ... (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

अतः आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है और खात्मा की मंजूरी प्रदान की जाती है।

मूल आवेदन अभिलेख पर रखा जाकर उसकी प्रतिलिपि एवं अनुसंधान डायरी संलग्न समस्त प्रपत्रों सहित संबंधित थाने को इस निर्देश के साथ वापस की जाये कि भविष्य में अभियुक्त के संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर प्रकरण में विधिवत कार्यवाही करें।

केस डायरी वापस की जाये।

पत्रावली विहित समयावधि के भीतर अभिलेखागार में संचित हो।

(दिनेश [illegible])
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, जिला इंदौर
(म.प्र.)

Scanned with CamScanner